तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुनील पारीक बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 115/2023 (ऑन लाईन नं.353806020507390)	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.23	अपीलार्थी सुनील पारीक, निवासी सेक्टर एच हाउस नं. 31, शास्त्रीनगर, वार्ड नं. 50 जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.03.23 में उसके द्वारा (1) कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा दिनांक 08.02.23 को पत्र कमांक/राजस्व/2023/563–597 जिले के संबंधित समस्त समस्त उपखण्ड अधिकारीगण जोधपुर (उत्तर/दक्षिण) , लूणी, भोपालगढ / ओसियां/ बावड़ी/ फलोदी/ बाप/ शेरगढ /बालेसर /पीपाडशहर/बिलाड़ा/लोहावट/देचू तथा संबंधित समस्त तहसीलदार अधिकारीगण जोधपुर (उत्तर/दक्षिण), लूणी, भोपालगढ / ओसियां /बावड़ी /फलोदी /बाप/ शेरगढ/ बालेसर/ पीपाड़शहर/शेरगढ/बालेसर/पीपाडशहर/बिलाड़ा/लोहावट/देचू सेखाला/आउ/सेतरावा/कुड़ी भगतासनी/घंटियाली/झंवर को राज्श सरकार के आदेशों के अनुसार आदेशित किया था, परन्तु प्रदत्त सरकारी उच्चाधिकारियों के सक्षम निर्देशों की नियमानुसार आज दिनांक तक धरावल पर अक्षरस अनुपालना कर अध्यतन आधिकारिक पालना रिपोर्ट भिजवाई नहीं गई है अतः संबंधित अधिकारीगणों (उपखण्ड अधिकारीयों एवं तहसीलदारों) द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को नियमानुसार प्रेषित अध्यतन आधिकारित अनुपालना रिपोर्ट की सम्पूर्ण प्रति की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से प्रदान करनें, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 981 दिनांक 10.08.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 967 दिनांक 08.08.23 द्वारा कुल 01 पृष्ठ की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर	

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)